रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0 एम0/13-14/95.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 22 नवम्बर, 1995/1 अग्रहायण, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
विधायी (अंग्रेजी अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 22 नवम्बर, 1995

संख्या एल0 एल0 आर0 डी0 (6) 11/95-लैजिसलेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 21-11-1995 को अनुमोदित हिमाचल

प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1995 (1995 का 8) को 1995 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 11 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित, हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि)।

1995 का अधिनियम संख्यांक 11.

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1995

(राज्यपाल द्वारा तारीख 21 नवम्बर, 1995 की यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) का संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1995 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह प्रथम अगस्त, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1994 का 13. 2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं 17-क और 17-ख अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— धाराएं 17-क और 17-ख का अंतःस्थापन।

"17-क. निर्वाचन व्ययों का लेखा और उनकी अधिकतम मात्रा.—(1) निर्वाचन में हर अभ्यर्थी निर्वाचन सम्बन्धी उस सब व्यय का जो, उस तारीख के, जिसको यह नाम निर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा, की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया है, पृथक और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा।

(2) लेखे में ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से विहित की जाएं।

(3) उक्त व्यय का जोड़ उस रकम से अधिक न होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

17-ख. लेखे का दाखिल किया जाना.—(1) निर्वाचन में हर निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से या यदि निर्वाचन में एक से अधिक निर्वाचन अभ्यर्थी हैं, और उनके निर्वाचन की तारीखें भिन्न हैं तो उन तारीखों में से पश्चात्वर्ती तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 17-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा नियुक्त अधिकारी के पास दाखिल करेगा।"

3. मूल अधिनियम की धारा 301 में उप-धारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा (6-क) जोड़ी जाएगी, अर्थात्:— धारा 301 का संशोधन।

"(6-क) धारा 17-क के उल्लंघन में व्यय उपगत या प्राधिकृत करना।"

1995 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन।

4. (1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1995 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1995 के निरसित होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 11 of 1995.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 1995

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON THE 21ST NOVEMBER, 1995)

AN

ACT

to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (*Act No.* 13 *of* 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 1995.

(2) It shall and shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 1995.

13 of 1994.

Insertion of sections 17 A and 17 B.

2. After section 17 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter called the Principal Act), the following sections 17 A and 17 B shall be inserted, namely:—

"17-A. *Account of election expenses and maximum thereof.*—(1) Every candidate at an election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorised by him or by his election agent between the date on which he has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive.

(2) The account shall contain such particulars, as may be prescribed by the State Government in consultation with the State Election Commission.

(3) The total of the said expenditure shall not exceed such amount as may be prescribed by the State Government in consultation with the State Election Commission.

17-B. *Lodging of account.*—Every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate or, if there are more than one returned candidates at the election and the dates of their election are different, the later of those two dates, lodge with the officer, as may be appointed by the State Election Commission, an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under section 17A."

Amendment of section 301.

3. In section 301 of the principal Act, after sub-section (6), the following sub-section (6A) shall be added, namely :—

"(6A) The incurring, or authorising, of expenditure in contravention of section 17A."

Repeal of Ordinance No. 2 of 1995.

4. (1) The Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 1995, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 1995, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।